

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

जानूराम बनाम गौपाल (वर्ग)

क्रिम नुक्रमा वाद पत्र 5354, 188 न० 13 सन 2021

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्ल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
63-21	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयता को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 8.4.21 को पेश हो ।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p>	
18-3-21	<p>पत्रावली एक प्रार्थना पत्र आपसी राजीनामा का पेश होने से पत्रावली सिगट से तलब की गई । वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी उपस्थित समय पर आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया । आपसी राजीनामा में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादी सं० 1 के मध्य गाँव भगतानपुरा परवार एका भगवानपुरा के बवाता सं० 529 में अंकित आराजी नम्बर 1285 रकबा 0.2656 आराजी नम्बर 1290 रकबा 0.2656 दौनी ही आराजियात रोड पर स्थित है जिसमें 1/2 एक हिस्सा उत्तरी तरफ वादी का एवं दक्षिण की तरफ का 1/2 एक हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 का होगा । ओर आराजी सं० 501, 502, 503 सम्पूर्ण एक हिस्सा वादी का एवं आराजी नम्बर 681, 683 सम्पूर्ण एक हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 का रहेगा । उक्त नुसार आराजियात का विभाजन किया जाने का निवेदन किया ।</p> <p>मैंने आपसी राजीनामा प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	<p>गौपाल Ish by <i>[Signature]</i> जानूराम <i>[Signature]</i></p>

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

(3)

अज अदालत उपखण्ड

वईजलास श्री 3

का आवलोकन किया, व्यायहित में आपसी  
शाहीनामा की स्वीकार किया जाकर आदेश  
दिया जाता है। कि ग्राम भगवानपुरा परवार  
हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा  
में स्थित खता सं० 529 में आराजी नं०  
1289 रकबा 0.2656 आराजी नं० 1290 रकबा  
0.2656 दोनों आराजियात रोड पर स्थित हैं।  
उक्त आराजी में 1/2 एक हिस्सा उत्तरी तरफ  
वार्दी एवं दक्षिण की तरफ 1/2 एक हिस्सा उत्तरी  
सं० 1 का रहेगा। एवं आराजी सं० 501, 502,  
503 सम्पूर्ण आराजी वार्दी की एवं आराजी  
नं० 681, 683 सम्पूर्ण आराजी उत्तरी सं० 1  
के नाम किये जाने का आदेश दिया जाता  
है। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड में  
अमल द्रामद करे। तदनुसार डिफ्री जारी हो।  
वर्षा करि डेन अपना-अपना वहम करे।  
पत्रावली फिसल शुमार होकर नम्बर से कम  
हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

श्री नानूराम 510 श्री

श्री शोपाल 510 श्री

राजस्थान राज्य

उपपंजीयक मही

वाद अन्तर्गत धारा 535

यह मुकदमा अज अदालत

मिनजानिव मुददई व श्री

दिया जाता है कि डिफ्री

वाद पत्र स्वीकार

परवार हल्का भगवानपुरा

529 में आराजी नं०

हैकरयर दोनो आराजी

उत्तरी तरफ वार्दी

एवं आराजी नं०

681, 683 हैकरयर

आदेश दिया जा

रेकार्ड में अमल

आज तारीख 18.3

गई।

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री डॉ. पूजा सक्सेना ( आ०२०ए०२० )

अनवान प्रकरण

श्री नानूराम ड।० श्री मांगू बलाई निवासी-भगवानपुरा तहसील-माण्डल

वादी


बनाम

श्री श्रीपाल ड।० श्री मांगू बलाई निवासी-भगवानपुरा तहसील-माण्डल  
राजस्थान राज्य परिषद तहसीलदार सा. माण्डल तहसील-माण्डल  
उपपंजीयत मल्लोदय पंजीयन कार्यालय माण्डल जिला-भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत द्वारा 53,54,188 मुकदमा न०/वर्ष 13/21 तिथि दिनांक 18.3.21  
यह मुकदमा अज अदालत दाद इनफिसल कतई स्वल्प अदालत व हिजरी वकील वादी  
मिनजानिय मुददई व श्रीमती सुमिजा साखवा ममलाभिय मुदावला पेश होकर हुपत  
दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि **अतः आपसी राजीनामानुसार वादी का**  
**वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भगवानपुरा**  
**परिवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा में स्थित खाता सं०**  
**529 में आराजी नं. 1289 रकबा 0.2656, आराजी नं. 1290 रकबा 0.2656**  
**हैक्टर दोनो आराजियात रोड पर स्थित हैं। उक्त आराजी ने 1/2 हक हिस्सा**  
**उत्तरी तरफ वादी एंव दक्षिण की तरफ 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 का रहेगा।**  
**एवं आराजी नं० 501, 502, 503 सम्पूर्ण आराजी वादी की एंव आराजी नं०**  
**681, 683 हैक्टर सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी सं० 1 के नाम दिये जाने का**  
**आदेश दिया जाता है तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार आराजी राजस्व**  
**रेकार्ड में अमल दरासद करे। स्वर्चा करिकेन अपना-अपना वहन करे।**

आज तोरीख 18.3.21 को नरे हुज्जतअर एव न्यायालय की मोहर व जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

आपसी  
आदेश  
परिवार  
भीलवाड़ा  
वै०  
रकबा  
है।  
रफ  
प्रतिवादी  
502  
आराजी  
सं० 1  
आराजी  
में  
है।  
वै०  
रकबा

अहमम जो इस  
हुदम की तामील  
में जारी हु